संख्या-161/2020/3270/26-3-2020-1(13)/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर 2020

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों को तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-714/स0क0/वृ0पे0यो0/एन0एस0ए0पी0/ 2020-21, दिनांक-19.11.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, 0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-16500.00 लाख (रू0-एक अरब पैसठ करोड़ मात्र) को लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 104-वृद्ध एवं अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण, 05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 02-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-4000.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 200-अन्य कार्यक्रम, 12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0-12500.00 लाख की बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, 0302-वृद्धावस्था/ किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-161/2020/3270(1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0–9 भाग–1

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना (राज्यांश) (समाज कल्याण) वित्तीय वर्ष 2020–21

(रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–02–104–05–02–20 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 104–वृद्ध एवं अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण, 05–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 02–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	45000.000	4000.000	4000.000	4000.000	41000.00
2235–02–200–12–00–20 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 200–अन्य कार्यक्रम, 12–मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना–00–					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	25000.000	12500.000	12500.00	12500.00	12500.00
योग	**70000.000**	**16500.00**	**16500.000**	**16500.00**	**53500.000**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–6)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–60–102–03–02–20 2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, 0302–वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	72500.000	89000.000	16500.000	16500.000	89000.000
योग:–	**72500.000**	**89000.000**	**16500.000**	**16500.000**	**89000.000**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण बचत का कारण निम्नानुसार है– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखा शीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय योजना/अधिष्ठान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुयल के प्रस्तर–150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–161/ई–4–866/दस–20 दिनांक–7 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-161/2020/3270/(1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7 - गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।